

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : प.4(26) वित्त/राजस्व/2018

जयपुर, दिनांक : 31.08.2018

आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24 (ए) के अन्तर्गत, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त निम्न संयुक्त निदेशकों का चयन, अतिरिक्त निदेशक की वर्ष 2018-19 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता एवम् योग्यता के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप, उनकी पदोन्नति अतिरिक्त निदेशक के पद पर पे-मेट्रिक्स के लेवल 21 में स्थानापन्न रूप से की जाती है :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद रिक्ति/उपलब्धता की तिथि
1	श्री सुरेश कुमार पूनियां	23.08.2018
2	श्री दलबहादुर सिंह भण्डारी	23.08.2018
3	श्रीमती अतीका आजाद	23.08.2018
4	श्री नरेश कुमार गोयल	23.08.2018
5	श्रीमती रेखा शर्मा	23.08.2018
6	श्री समीर शर्मा	23.08.2018

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se seniority) यथावत् रहेगी। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उपर्युक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वेद प्रकाश गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

31/8/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 5 (388)डीपीसी/2018-19/327 दिनांक 30.08.2018 के क्रम में।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निजी /रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

31/8/18